सुरिंडर @चोटी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

1669

( दीपक मनचंदा, जे.)

तेजिंदर सिंह ढिंढसा और दीपक मनचंदा से पहले, जे. जे.

सुरिंडर @चोटी-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-उत्तरदाता 2022 की सी. आर. डब्ल्यू. पी. संख्या 1324।

20 अक्टूबर, 2022

(ए) हरियाणा अच्छा आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988-धारा 2 (एए) (ii)-भारतीय दंड संहिता, 1860-एस। आर्म्स एक्ट, 1959-एस. 25-प्रिजनर्स एक्ट, 1894-एस. 42-फर्लो-अस्थायी रिहाई से इनकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा क्योंकि केवल अपराध करने की संभावना को राज्य की सुरक्षा के लिए खतरे या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की आशंका के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए-अस्थायी रिहाई अधिनियमों में दोषियों की अस्थायी रिहाई की परिकल्पना की गई है-केवल तथ्य यह है कि अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति का मतलब यह नहीं है कि वह फरार हो सकता है या अगर फर्लो पर रिहा किया जाता है तो अपराध कर सकता है-ऐसे अपराधों से बचने के लिए सख्त शर्तें लागू करना अधिकारियों के लिए हमेशा खुला रहता है। संभावनाएँ। अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता को फर्लो देने से इनकार कर दिया गया है क्योंकि वह एक कट्टर अपराधी है और जवाब में अतिरिक्त रुख अपनाया गया है कि इस बात की आशंका है कि अगर उसे फर्लो पर रिहा किया जाता है तो वह अपराध कर सकता है और शांति भंग हो सकती है, दिया गया तर्क स्वीकार्य नहीं है। फर्लो पर रहते हुए अपराध करने की संभावना अस्थायी रिहाई से इनकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगी क्योंकि अपराध करने की केवल संभावना को राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए खतरे की आशंका के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। अस्थायी रिहाई अधिनियमों में दोषियों की अस्थायी रिहाई की परिकल्पना की गई है। केवल इस तथ्य का कि व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह फरार हो सकता है या फर्लो पर रिहा होने पर कोई अपराध कर सकता है। ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए सख्त शर्तें लागू करने के लिए अधिकारियों के लिए हमेशा खुला रहता है।

(पैरा 17)

(बी) हरियाणा अच्छा आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988-धारा 2 (एए) (ii)-भारतीय दंड संहिता, 1860-एस। 303, 201 और 120 बी-शस्त्र अधिनियम, 1959-एस. 25-कैदी अधिनियम, 1894-एस. 42-फर्लो-दोषी या कैदी से उसके मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों को नहीं खोया जाता है, जो उसके कारावास से असंगत हैं-याचिकाकर्ता को फर्लो देकर थोड़े समय के लिए जेल से रिहा किया जाएगा-यह विभिन्न कारणों से दिया जाता है जैसे कि कैदी को बाहरी दुनिया में लौटने में सक्षम बनाना ताकि वह अपने पारिवारिक जीवन के साथ निरंतरता बनाए रख सके और पारिवारिक मामलों से निपट सके क्योंकि फर्लो दंडात्मक सुधार का एक हिस्सा है।

सुरिंडर @चोटी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

1670

( दीपक मनचंदा, जे.)

अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता की लगभग 15 वर्ष की आयु की एक छोटी बेटी है और उसकी शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं सहित उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। कैदी को रचनात्मक आशा और जीवन में सक्रिय रुचि बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए, एक कैदी को छुट्टी देने के लिए वैधानिक प्रावधान किए गए हैं। यदि अनुचित तर्क और शर्तों के लिए इसे अस्वीकार कर दिया जाता है, जो कि कैदी के लिए साधन हैं, तो पैरोल या फर्लो बनाने वाले क़ानून का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा और एक मृत पत्र बन जाएगा जिसका पालन किया जाना है बजाय उसी की अवहेलना करने के।

(पैरा 18)

याचिकाकर्ता की ओर से वकील अमृता गर्ग ने कहा, रणधीर सिंह, एडिशनल। ए. जी. हरियाणा।

(1) तत्काल याचिका प्रत्यर्थी संख्या 6 द्वारा पारित दिनांक 1 (अनुलग्नक पी-13) के विवादित आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता को फर्लो देने के लिए आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988 की धारा 2 (एए) (ii) के तहत 'हार्ड-कोर कैदी' की परिभाषा में आता है और हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988 की धारा 4 के तहत याचिकाकर्ता को फर्लो देने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने की भी मांग की गई है। (2) अभिवचनों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302,201,120-बी (इसके बाद 'आई. पी. सी.' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत मामले में दोषी ठहराया गया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जो पुलिस स्टेशन सदर बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद में दर्ज की गई थी और दोषसिद्धि को अपील संख्या सी. आर. ए.-डी.-435-डी. बी. 2018 के माध्यम से चुनौती दी गई थी, जिसे इस अदालत के समक्ष स्वीकार किया गया है। याचिकाकर्ता के खिलाफ अन्य आपराधिक मामलों का विवरण याचिका के अनुलग्नक पी-14 में हिरासत प्रमाण पत्र में उल्लिखित है। जब 21 दिनों के फर्लो के अनुदान के लिए पहले के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था, तो याचिकाकर्ता ने सीआरडब्ल्यूपी-11759-2021 दायर किया, जिसका निपटान दिनांकित 18.01.2022 के आदेश के माध्यम से किया गया था, जिसमें प्रतिवादी संख्या 6 को एक सप्ताह की अवधि के भीतर फर्लो के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था।

सुरिंडर @चोटी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

1671

( दीपक मनचंदा, जे.)

इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश के अनुपालन में, प्रतिवादी संख्या 3 अर्थात अधीक्षक, जिला जेल, गुरुग्राम हरियाणा की रिपोर्ट मांगी गई थी, और प्रतिवादी संख्या 6 ने दिनांक 2 के विवादित आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता के फर्लो आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता हरियाणा गुड कंडक्ट (अस्थायी रिहाई) संशोधित अधिनियम 2013 की धारा 2 (एए) (ii) के तहत उल्लिखित हार्ड-कोर श्रेणी में आता है, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ कुल 77 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 29 मामलों में उसे सजा हुई थी, 29 मामलों में बरी कर दिया गया था। और 17 मामलों में जमानत पर है। इसके अलावा दो मामलों में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और इन मामलों के अलावा वह कई अन्य मामलों में सजा काट चुका है। (3) 15.02.2022 प्रत्यर्थियों पर प्रस्ताव की सूचना जारी होने के बाद, संख्या 1 से 3,6 और, 7 ने दिनांकित 05.05.2022 के माध्यम से अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें याचिकाकर्ता का पूरा आपराधिक रिकॉर्ड उक्त जवाब/हलफनामे के पैरा संख्या 3 और 4 में पूरा विवरण देकर दायर किया गया है और उसी रुख को दोहराया गया है जैसा कि दिनांकित 28.01.2022 आदेश में उल्लिखित है, जिसमें याचिकाकर्ता का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था।

(4) पक्षों के लिए सीखी हुई सलाह सुनी।

(5) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को 1988 के अधिनियम की धारा 2 (एए) (ii) में दिए गए एक कट्टर कैदी के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया है, जिसे वर्ष 2013 में संशोधित किया गया था और प्रस्तुत किया गया था कि इससे पहले भी याचिकाकर्ता के पैरोल के लिए आवेदन को उसी आधार पर खारिज कर दिया गया था क्योंकि याचिकाकर्ता से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया था, जिसके बारे में भोंडसी जिला गुरुग्राम में दर्ज कैदी अधिनियम 1894 की धारा 42 के तहत 15.11.2017 दिनांकित प्राथमिकी संख्या 307 उस समय लंबित थी, जिसमें बाद में उसे बरी कर दिया गया था। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि कठोर कैदी की परिभाषा लागू नहीं होगी क्योंकि ऐसे कोई मामले नहीं हैं जो उक्त परिभाषा के मापदंडों के भीतर आते हैं और जिन मामलों का उल्लेख प्रतिवादी राज्य द्वारा किया गया है जिसमें उसे बरी/दोषी ठहराया गया था, वे वर्ष 2018 से पहले की अवधि से संबंधित हैं और याचिकाकर्ता ने तब से अच्छा आचरण दिखाया है और उसे कभी भी किसी भी जेल अपराध के लिए दंडित नहीं किया गया है और प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भी उसका आचरण संतोषजनक रहा है।

सुरिंडर @चोटी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

1672

( दीपक मनचंदा, जे.)

3 1979 (3) एस. सी. सी. 645

सुरिंडर @चोटी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

1673

( दीपक मनचंदा, जे.)

4 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. एंड एच. 5497 प्रावधान 2013 के संशोधित अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों (अब संशोधित अधिनियम, 2022) में निहित हैं। (7) हमने इस मामले पर विचारपूर्वक विचार किया है और संबंधित पक्षों के विद्वान वकील की सहायता से रिकॉर्ड का अध्ययन किया है। अधिनियम 1988 के अधिनियमन के बाद से, हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (अस्थायी रिहाई) अधिनियम (अधिनियम, 1988) में कई संशोधन किए गए और "हार्ड कोर प्रिजनर" की परिभाषा वर्ष 2012 में जोड़ी गई, लेकिन हरियाणा गुड कंडक्ट (अस्थायी रिहाई) संशोधित अधिनियम 2013 की धारा 2 (एए) (ii) के तहत दिनांकित आदेश पारित किया गया है, संशोधित अधिनियम 2022 तक उन संशोधनों का क्रम नीचे दिया गया है-1988 में अधिनियम की धारा 2: -

(घ) "कैदी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत के किसी न्यायालय या कोर्ट मार्शल या आपराधिक न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा आजीवन कारावास या कारावास की सजा के तहत जेल या जेल या समान प्रकृति के अन्य संस्थान में बंद है; (ङ) "जेल अधीक्षक" से जेल या जेल या समान प्रकृति की अन्य संस्था का प्रभारी अधिकारी अभिप्रेत है जिसमें कैदी आजीवन कारावास या कारावास की सजा काट रहा है। ”

2013 के संशोधित अधिनियम की धारा 2: - “2. हरियाणा अच्छा आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम की धारा 2 के खंड (एए) के लिए। 1988, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्ः

(आ) "कट्टर कैदी" का अर्थ है एक व्यक्ति।

सुरिंडर @चोटी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

1674

( दीपक मनचंदा, जे.)

(14) यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धारा 14 के तहत अपराध। 2012 (2012 का केंद्रीय अधिनियम 32); या ((ख) जो अपनी दोषसिद्धि से ठीक पहले पाँच वर्ष की अवधि के दौरान आई. पी. सी. के अध्याय बारहवें या सत्रहवें में उल्लिखित एक या अधिक अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और दंडित किया गया है. उपरोक्त खंड (i) के तहत शामिल अपराधों को छोड़कर, अलग-अलग अवसरों पर किया गया है जो एक ही लेनदेन का हिस्सा नहीं हैं और इस तरह के दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप कम से कम बारह महीने की अवधि के लिए कारावास हुआ हैः

सुरिंडर @चोटी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

1675

( दीपक मनचंदा, जे.)

((iv) जिसे जेल परिसर के अंदर सेल फोन का उपयोग करते हुए या सेल फोन/सिम कार्ड रखने का पता चला है; या (v) जो उस तारीख से दस दिनों की अवधि के भीतर आत्मसमर्पण करने में विफल रहा, जिस दिन उसे इस अधिनियम के तहत उस अवधि की समाप्ति पर आत्मसमर्पण करना चाहिए था, जिसके लिए उसे पहले रिहा किया गया थाः

बशर्ते कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी अपराध को ऊपर उल्लिखित अपराधों की सूची में शामिल कर सकती है। 2022 के संशोधित अधिनियम की धारा 2: -

((ख) "दोषी ठहराए गए कैदी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत के किसी न्यायालय या सैन्य न्यायालय या आपराधिक न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा आजीवन कारावास या कारावास की सजा के तहत जेल या समान प्रकृति के अन्य संस्थान में बंद है। (ग) "पुलिस उपायुक्त" से उस जिले का पुलिस उपायुक्त अभिप्रेत है जिसके अधिकार क्षेत्र में इस अधिनियम के तहत अपनी अस्थायी रिहाई के बाद दोषी कैदी की अस्थायी रिहाई की अवधि के दौरान रहने की संभावना है; (घ) "जिला मजिस्ट्रेट" से उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है जिसके अधिकार क्षेत्र में इस अधिनियम के तहत अपनी अस्थायी रिहाई के बाद दोषी कैदी के अपनी अस्थायी रिहाई की अवधि के दौरान रहने की संभावना है।

सुरिंडर @चोटी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

1676

( दीपक मनचंदा, जे.)

(7) भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम 45) की धारा 376-ए या धारा 376-सी या धारा 376-डी या धारा 376-बी के तहत सामूहिक बलात्कार या बलात्कार, या

सुरिंडर @चोटी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

1677

( दीपक मनचंदा, जे.)

((ख) जो अपनी दोषसिद्धि से ठीक पहले पाँच वर्ष की अवधि के दौरान भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम 45) के अध्याय 12 या 18 में उल्लिखित एक या अधिक अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और दंडित किया गया है, उपरोक्त खंड (i) के तहत आने वाले अपराधों को छोड़कर, जो एक ही लेन-देन का हिस्सा नहीं होने वाले विभिन्न अवसरों पर किए गए हैं और इस तरह के दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप कम से कम बारह महीने की अवधि के लिए कारावास हुआ हैः बशर्ते कि यदि अपील या संशोधन में किसी दोषसिद्धि को दरकिनार कर दिया गया है तो उसके संबंध में किए गए किसी कारावास को उपरोक्त उद्देश्य के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा; या (iii) जिसे मृत्युदंड या प्राकृतिक जीवन तक कारावास की सजा सुनाई गई है; या

सुरिंडर @चोटी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

1678

( दीपक मनचंदा, जे.)

(i) "अभिरक्षा पैरोल" का अर्थ है सशस्त्र पुलिस अभिरक्षा के तहत एक दोषी कैदी को यात्रा के स्थान (भारत गणराज्य के क्षेत्र के भीतर) ले जाना और एक विशिष्ट अवधि के लिए और इस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए विशिष्ट कारणों से वहां से लौटना; ((ii) 'आपातकालीन पैरोल' का अर्थ है अधीक्षक जेल द्वारा किसी दोषी कैदी को दी गई पैरोल जब दोषी कैदी के परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो या वह गंभीर स्थिति में हो या दोषी कैदी स्वयं धारा 5 के तहत गंभीर स्थिति में हो।

सुरिंडर @चोटी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

1679

( दीपक मनचंदा, जे.)

(एन) "अस्थायी रिहाई" का अर्थ है हिरासत पैरोल या आपातकालीन पैरोल या नियमित पैरोल या फर्लो पर एक दोषी कैदी की अस्थायी रिहाई। (2) इसमें उपयोग किए गए लेकिन परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें जेल अधिनियम, 1894 (1894 का केंद्रीय अधिनियम 9) के तहत बनाए गए नियमों के तहत सौंपा गया है और जैसा कि पंजाब जेल नियमावली में निहित है। ”

(8) इस बीच, हरियाणा राज्य ने हरियाणा गुड कंडक्ट ऑफ प्रिजनर्स (टेम्पररी रिलीज) एक्ट, 1988 को निरस्त कर दिया और अब एक नया क़ानून, हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेम्पररी रिलीज) एक्ट, 2022 (2022 का 15) लागू किया है जो 11 04.2022 से लागू हुआ और अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, निरसन प्रभावित नहीं होगा।

(ख) इस प्रकार निरस्त अधिनियम के तहत अर्जित या उपार्जित कोई अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व; या

सुरिंडर @चोटी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

1680

( दीपक मनचंदा, जे.)

(ग) इस प्रकार निरस्त किए गए अधिनियम के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में किया गया कोई जुर्माना, ज़ब्त या सजा; या (घ) उपरोक्त किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, दायित्व, दंड, ज़ब्त या सजा के संबंध में कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय; और ऐसी कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है, और ऐसा कोई जुर्माना, ज़ब्त या सजा लगाई जा सकती है, जैसे कि यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था। बशर्ते कि इस प्रकार निरस्त किए गए अधिनियम के तहत की गई कोई भी कार्रवाई या की गई कोई भी कार्रवाई इस अधिनियम के संबंधित प्रावधान के तहत की गई या की गई मानी जाएगी और तदनुसार तब तक लागू रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के तहत की गई किसी भी चीज़ या किसी भी कार्रवाई द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है।

(9) याचिकाकर्ता ने आगे अधिनियम की धारा 4 के तहत अपने मामले पर विचार करने के लिए निर्देश मांगने का अनुरोध किया है, जो सशर्त है और जहां उक्त धारा स्पष्ट करती है कि सक्षम प्राधिकारी धारा 11 और 12 के तहत निर्दिष्ट ऐसी शर्तों और प्रक्रिया के अधीन एक दोषी कैदी को छुट्टी प्रदान करेगा। प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

बशर्ते कि दोषी कैदी ने सजा की अवधि के मामले में कुल सजा का तीन/चौथाई और आजीवन कारावास के मामले में दस साल पूरा कर लिया हो, इस धारा के तहत रिहाई की अवधि चार सप्ताह होगी और इस अवधि का कुछ हिस्सों में लाभ नहीं उठाया जाएगा। (3) दोषी ठहराए गए कैदी जो दोषसिद्धि के बाद तीन साल की सजा पूरी कर चुके हैं, फर्लो के लिए पात्र नहीं होंगे। बशर्ते कि दोषी कैदी जिसे पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी जेल अपराध या अस्थायी रिहाई की शर्तों के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया है, वह फर्लो के लिए पात्र नहीं होगाः

सुरिंडर @चोटी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

1681

( दीपक मनचंदा, जे.)

बशर्ते कि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (1985 का केंद्रीय अधिनियम 61) के तहत सजा पाए दोषी कैदी या फिरौती या जबरन वसूली या यौन अपराधों के इरादे से हत्या या हत्या के साथ राजद्रोह या बलात्कार या डकैती या डकैती या बारह साल से कम उम्र के बच्चे के खिलाफ यौन अपराध या प्राकृतिक जीवन तक कारावास की सजा पाने वाले कैदी फर्लो के पात्र नहीं होंगे। (4) पुलिस उपायुक्त या पुलिस अधीक्षक, जैसा भी मामला हो, की रिपोर्ट और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई सिफारिश इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी, ताकि किसी दोषी कैदी को अस्थायी रूप से रिहा किया जा सके।

(11) अधिनियम की धारा 2 (एए) (ii) के तहत विवादित आदेश पारित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी कैदी, जिसे दोषी ठहराए जाने से ठीक पहले पांच साल की अवधि के दौरान भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम 45) के अध्याय XII या XVII में उल्लिखित एक या अधिक अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है, खंड (i) के तहत आने वाले अपराधों को छोड़कर, जबकि याचिका के साथ संलग्न अभिरक्षा प्रमाण पत्रों के अवलोकन के साथ-साथ जवाब से पता चलता है कि जिन अपराधों में दोषसिद्धि हुई है, वे आवश्यक मापदंडों के भीतर नहीं आते हैं। 2014 की एफ. आई. आर. संख्या 77 में, जिसमें याचिकाकर्ता वर्तमान में सजा काट रहा है और अन्य मामलों में दोषसिद्धि के बाद कोई सजा नहीं है, इसलिए 12 महीने की आवश्यकता पूरी नहीं हुई है। इसलिए, अधिनियम की धारा 2 (एए) (ii) के तहत विवादित आदेश के माध्यम से अस्वीकृति उचित नहीं है। (12) प्रत्यर्थी अधिकारियों द्वारा दायर जवाब में लिया गया रुख यह है कि याचिकाकर्ता की रिहाई से राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को खतरा हो सकता है या शांति भंग होने की उचित आशंका हो सकती है।

सुरिंडर @चोटी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

1682

( दीपक मनचंदा, जे.)

यह माना गया कि फर्लो जेल से एक संक्षिप्त रिहाई है जो सशर्त है और लंबी अवधि के कारावास के मामले में दी जाती है। कैदियों द्वारा फर्लो पर बिताई गई सजा की अवधि उसके द्वारा पूरी करने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि पैरोल के मामले में किया जाता है। फर्लो एक अच्छे आचरण छूट के रूप में दिया जाता है। एक दोषी को, बाद में बोलते हुए, आजीवन दोषी होने की स्थिति में सजा की अवधि या अपने शेष जीवन के लिए जेल में रहना चाहिए। यह इस संदर्भ में है कि थोड़े समय के लिए जेल से उनकी रिहाई को न केवल उनकी व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं को हल करने के लिए बल्कि समाज के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए भी एक अवसर के रूप में माना जाना चाहिए। दोषियों को भी कम से कम कुछ समय के लिए ताजी हवा में सांस लेनी चाहिए, बशर्ते कि वे कारावास के दौरान लगातार अच्छा आचरण बनाए रखें और खुद को सुधारने की प्रवृत्ति दिखाएं। 5 2017 (15) एससीसी 55 अच्छे नागरिक।

सुरिंडर @चोटी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

1683

( दीपक मनचंदा, जे.)

(15) माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसी तरह के मुद्दे पर विचार करते हुए आगे स्पष्ट किया कि पैरोल और फर्लो के प्रावधान इस प्रकार जेलों में बंद लोगों के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इस देश के नागरिकों का भी समाज में सफलतापूर्वक पुनः प्रवेश के लिए अपराधियों को तैयार करने में निहित स्वार्थ है। जो लोग समर्थन के एक मजबूत नेटवर्क, रोजगार की संभावनाओं, उस समुदाय के बारे में एक मौलिक ज्ञान के बिना जेल छोड़ते हैं, जहां वे लौटेंगे, और संसाधनों के बिना, विफलता की काफी अधिक संभावना है। जब अपराधी रिहाई के बाद आपराधिक गतिविधियों में लौटते हैं, तो वे अक्सर ऐसा करते हैं क्योंकि उनमें स्वीकृत नागरिकों के रूप में समाज में विलय की उम्मीद की कमी होती है। फर्लो या पैरोल अपराधियों को सफलता के लिए तैयार करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा, यह कहने का कोई फायदा नहीं हो सकता कि जो समाज व्यक्तियों के मूल्य में विश्वास करता है, वह अपने विश्वास की गुणवत्ता का आकलन कर सकता है, कम से कम आंशिक रूप से अपनी जेलों और सेवाओं की गुणवत्ता और कैदियों को उपलब्ध कराई गई सहायता से। कानून और व्यवस्था के साथ संगठित एक सभ्य समाज में होने के नाते प्रत्येक नागरिक के लिए उचित रूप से सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी अपराध करके वह एक इंसान होने का दावा करता है और उसे जीवन के उन पहलुओं से वंचित किया जा सकता है जो मानव गरिमा का गठन करते हैं। एक कैदी के लिए, सभी मौलिक अधिकार लागू करने योग्य वास्तविकताएं हैं, हालांकि कारावास के तथ्य से प्रतिबंधित हैं। (16) चूंकि प्रत्यर्थी अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के मामले को कठोर कैदी की श्रेणी में प्रस्तुत किया है, कई मामलों से जुड़े उसके पिछले आचरण और समाज के खिलाफ उसके निरंतर अपराध की आदत को ध्यान में रखते हुए, इसी मुद्दे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय के पैरा 25 में एक प्रसिद्ध अपराधी और समाजशास्त्री फ्रैंक एक्सनर का संदर्भ देते हुए निपटाया गया है कि एक कठोर अपराधी हो सकता है जो अपने अपराध और अपराध संघों, वफादारी और दृष्टिकोण से निपटने के तरीके के कारण हो सकता है जो बना रहता है। लगातार आपराधिक व्यवहार व्यक्तित्व के पैथोलॉजिकल व्यापार, मानसिक दोष, भावनात्मक अस्थिरता, मानसिक संघर्ष, अहंकार-केंद्रीकरण और मनोविकृति के कारण अक्सर लगाए गए व्यक्तित्व व्यापार के कारण भी हो सकता है, जहां पिछली गिरफ्तारियों की संख्या के साथ अपराधों को दोहराने की संभावना और पिछले और अगले अपराध के बीच का अंतराल पिछले अपराध की संख्या बढ़ने के साथ कम हो जाता है। आपराधिक अध्ययन का उद्देश्य असंभव सामयिक अपराधियों और अभेद्य आदतन अपराधियों और कट्टर अपराधियों का पूर्वानुमान है।

सुरिंडर @चोटी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

1684

( दीपक मनचंदा, जे.)

(17) हालाँकि याचिकाकर्ता को फर्लो देने से इनकार कर दिया गया है क्योंकि वह एक कट्टर अपराधी है और जवाब में अतिरिक्त रुख अपनाया गया है कि इस बात की आशंका है कि अगर उसे फर्लो पर रिहा किया जाता है और शांति भंग हो सकती है तो वह अपराध कर सकता है, लेकिन दिया गया तर्क स्वीकार्य नहीं है। फर्लो पर रहते हुए अपराध करने की संभावना अस्थायी रिहाई से इनकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगी क्योंकि अपराध करने की केवल संभावना को राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए खतरे की आशंका के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। अस्थायी रिहाई अधिनियमों में दोषियों की अस्थायी रिहाई की परिकल्पना की गई है। केवल इस तथ्य का कि व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह फरार हो सकता है या फर्लो पर रिहा होने पर कोई अपराध कर सकता है। ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए सख्त शर्तें लागू करना अधिकारियों के लिए हमेशा खुला रहता है। (18) हम यह देखने के लिए विवश हैं कि एक दोषी या कैदी से उसके मौलिक अधिकार नहीं छीने जाते हैं और अन्य कानूनी अधिकार जो उसके कारावास के साथ असंगत हैं। याचिकाकर्ता को फर्लो देकर थोड़े समय के लिए जेल से रिहा किया जाएगा। यह विभिन्न कारणों से दिया जाता है जैसे कि कैदी को बाहरी दुनिया में लौटने में सक्षम बनाना ताकि वह अपने पारिवारिक जीवन के साथ निरंतरता बनाए रख सके और पारिवारिक मामलों से निपट सके क्योंकि फर्लो दंडात्मक सुधार का एक हिस्सा है। फर्लो देने या याचिकाकर्ता कैदी को अपने पारिवारिक जीवन के साथ निरंतरता बनाए रखने और पारिवारिक मामलों से निपटने और कैदी को निरंतर जेल जीवन के बुरे प्रभावों से बचाने के लिए स्पष्ट उद्देश्य। यहां तक कि प्रत्यर्थी अधिकारियों द्वारा लिए गए रुख में भी, एक भी उदाहरण का हवाला नहीं दिया गया है जहां याचिकाकर्ता ने किसी भी रियायत का दुरुपयोग किया है, और इसके अलावा, उसी के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को उसकी कैद के दौरान ऐसी कोई अस्थायी रिहाई या रियायत नहीं दी गई है। फर्लो मांगने का कारण यह है कि याचिकाकर्ता की माँ 73 वर्ष की आयु की एक बूढ़ी महिला है और विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है और याचिकाकर्ता के परिवार में उसकी माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता की लगभग 15 साल की एक छोटी बेटी है और उसकी शिक्षा और अन्य जरूरतों सहित उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। कैदी को रचनात्मक आशा और जीवन में सक्रिय रुचि बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए, एक कैदी को छुट्टी देने के लिए वैधानिक प्रावधान किए गए हैं।

सुरिंडर @चोटी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

1685

( दीपक मनचंदा, जे.)

(20) विवादित आदेश दिनांक 28.01.2022 (अनुलग्नक पी-13) को अलग रखा गया है। 21 याचिकाकर्ता को कुछ दिनों की छुट्टी दी जाती है। 21 दिनों की फर्लो की अवधि समाप्त होने पर, याचिकाकर्ता को जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है और फर्लो की अवधि को उस तारीख के अगले दिन से गिना जाएगा जब याचिकाकर्ता को जेल से रिहा किया जाता है। डॉ. पायल मेहता